हैं, जिनकी ओर इस बारे में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अनधिकृत कालोनियों की सूची सभा पटल पर रख दी गयी है । (**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** LT-295/77) । सरकार के द्वारा फरवरी, 1977 में निर्धारित नीति के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण तथा विकास की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय क्रियान्वयन निकाय गठित कर लिया गया है ।

(ख) और (ग) फरवरी, 1977 को क्रियान्वित करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम को निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो भी सुविधाएं सम्भव हैं वे दी जा रही हैं । दिल्ली नगर निगम ने 32 अनधिकृत कालोनियों में पानी के मेन डाल दिये हैं । और फिर वर्तमान नीति के अनुसार दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान के द्वारा गैर मजूरशुदा कालोनियों में प्रवर्तकों/निवासी कल्याण संस्थाओं के विशेष अनुरोध पर सामान्य विद्युतीकरण किया जा रहा है बशर्ते सामान्य व्यापारिक औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं । जिन कालोनियों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है उनके नाम एकत्र किए जा रहे हैं ।

निर्माण और आवास तथा संचार मंत्रालयों को गृह निर्माण समिति के नए सदस्यों को भूमि का आवंटन

7. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास तथा संचार मंत्रालयों की गृह निर्माण समिति के उन कुछ सदस्यों की सदस्यता, जो वित्तीय कठिनाई के कारण समय पर भूमि की लागत की किश्त नहीं चुका सके थे, समाप्त कर दी गई थी और उनके स्थान पर बनाये गये नये सदस्यों को भूमि आबंटित की गई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार पुराने शेयरधारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपना कर उन्हें भूमि की लागत का भुगतान करने का अवसर देने का है; और

(ग) उन पुराने शेयरधारियों को, जो समिति की स्थापना के समय से इसके सदस्य रहे हैं, दस अथवा पन्द्रह वर्ष बाद बने नये सदस्यों की तुलना में न्याय देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) संभवतः माननीय सदस्य निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय सहकारी गृह निर्माण समिति लि० की सदस्यता के बारे में पूछ रहे हैं । यदि ऐसा है तो उत्तर हां में है ।

(ख) जी, नहीं । सहकारी समिति अधिनियम, नियमों तथा उप नियमों के अधीन इन सभी मामलों पर विचार करना समिति की प्रबन्ध कमेटी का काम है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति के विरुद्ध शिकायतें

8. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय (राजस्थान) के उपकुलपति के विरुद्ध सरकार को भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वह शिकायत किस प्रकार की है ;

(ग) क्या जब वे मध्य प्रदेश में कृषि निदेशक थे, तब उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे और क्या उन आरोपों की जांच की जा रही है ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । प्रधान मंत्री सचिवालय ने एक पत्र अग्रेषित किया है जो दिल्ली के एक एडवोकेट के० सी० शर्मा से प्राप्त हुआ था और जिस के साथ श्री शर्मा ने राजस्थान तथा हरियाणा से आने वाले छात्रों के एक दल न अभिवेदन की एक प्रतिलिपि संलग्न की थी जिसमें उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० पी० एस० लाम्बा के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे । आरोपों की प्रकार संक्षेप में, निम्न प्रकार है :—

(i) प्रारंभ में डा० लाम्बा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय के संकाय अध्यक्ष और अनुसंधान निदेशक नियुक्त किये गये और बाद में उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में नियुक्त किये गये, क्योंकि वे तत्कालीन मुख्यमंत्री चौ० बंसीलाल के कृपापात्र थे, क्योंकि डा० लाम्बा ने उनको हत्या के प्रयत्न के एक मामले को दबाने में सहायता की थी ।

(ii) आपातकाल के दौरान उन्होंने छात्रों तथा विश्वविद्यालय में संकायों के सदस्यों पर कठोर अत्याचार ढाये ।

(ग) श्री शर्मा द्वारा भेजे गये उपरोक्त ज्ञापन के साथ-साथ, डा० लाम्बा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का विवरण उस समय से संबधित जब वे मध्य प्रदेश में कृषि के अतिरिक्त निदेशक थे, भी अग्रेषित किया गया है । इस विवरण में आरोप लगाया गया है कि स्टोर पर्चेज कमेटी के सदस्य के रूप में, उन्होंने कई मदों की खरीद, बिना निविदाओं को आमंत्रित किए तथा बिन अन्य औपचारिकताएं पूरी किए, की थी ।

ये मामले, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय इनकी जांच नहीं करा रहा है ।

(घ) क्योंकि उदयपुर विश्वविद्यालय एक स्वायत्त शासी संस्था है जिस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय का प्रशासनिक नियत्रण नहीं है, अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

तथापि, इस शिकायत को उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु, भेज दिया गया है ।

Confidential Reports of Vice-Chancellors of Universities

9. SHRI DAJIBA DESAI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the press report appearing in Indian Express (Bombay edition) of 11th April, 1977 and state:

(a) whether the Government of India have called for confidential reports of the Vice-Chancellors of universities; and

(b) if so, what action Government contemplate?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) The newspaper report is not correct and the Government of India has not called for any such confidential report.

(b) Does not arise.